न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 01/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00001

1. श्री दौलतराम पिता हीरालाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी चिरंजीवलाल मेनारिया निवासी पानेरियों की मादडी मनवा खेडा उदयपुर।
2. श्रीमती शैलाबाई पुत्री हरालाल पत्नी शांतिलाल मेनारिया निवासी रूण्डेडा तह. वल्लभनगर।
3. श्री नक्षत्रमल पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. श्री भवानीशंकर पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
5. श्री सुरेशचन्द्र पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता वादी।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 24.01.2023

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 1368, 1508, 1511, 1518, 1521, 2264, 3372 किता 7 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार एवं मौजा चायला खेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 3411, 3715, 3730, 3732, 3739, 3740, 3741, 3742, 3750, 3751, 3752 किता 11 रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार एवं आराजी नम्बर 54 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 को पाबंद कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में धारा 188

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् निषेधाज्ञा का पेश किया है जबकि वाद वर्णित आराजीयात वादी व हम प्रतिवादीगणों के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगणों के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है ऐसी अवस्था में कानुनन सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नही लाया जा सकता है, न सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी ही की जा सकती है ऐसी अवस्था में वादी का वाद कानुनन विधि से वर्जित है अर्थात् बार्ड बाई लॉ हैं। इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज होने योग्य हैं।

2. यह कि वादीगणों ने अपने वाद में मृतक सहखातेदारों के सभी वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि कानूनन बंटवाडे के वाद में सहखातेदारों के सभी वारिसानों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इसलिए वादी का वाद आवश्यक पक्षकार के असयोजन के अभाव में बार्ड बाई लॉ है ऐसी अवस्था में वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज होने योग्य हैं।

3. अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

4. अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया ना ही आज दिनांक को उपस्थित हुए हैं। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में उपेक्षा करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी व वादी के पिता व प्रतिवादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया हैं। चूंकि वादी द्वारा उक्त वाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं जबकि अविभाजित सम्पति होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 18.12.19 से प्रतिवादी सं. 3 से 5 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। वाद प्रस्तुत करते समय हक त्याग का नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ था। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के आधार पर अपनी बताकर प्रतिवादी सं. 1 से 5 को पाबंद कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं जबकि वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। मात्र कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः यदि खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का सहखातेदार के विरूद्व चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दौलतराम पिता हीरालाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी चिरंजीवलाल मेनारिया निवासी पानेरियों की मादडी मनवा खेडा उदयपुर।
2. श्रीमती शैलाबाई पुत्री हरालाल पत्नी शांतिलाल मेनारिया निवासी रूण्डेडा तह. वल्लभनगर।
3. श्री नक्षत्रमल पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. श्री भवानीशंकर पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
5. श्री सुरेशचन्द्र पिता मिठुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 01/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00001

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.01.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested